FORM No. III

APP-A
crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बअदालत ____________ मुकाम ____________

केस्स मुकदमा धारा 188 बनाम ____________

नं. 29/17 RTS सन 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.5.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मेजा मे प्रस्तुत हुई। प्रकरण मे वादी एंव प्रतिवादीगणों ने उपस्थित होकर आपसी राजीनामा इस प्रकार का प्रस्तुत किया कि ग्राम मेजा के आ० नं० 46 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, व आ० नं० 47 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आ० नं० 1758 रकबा 15 बिस्वा, आ० नं० 1844 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 4 रकबा रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि को जरिये राजीनामा फैसला किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जावे कि उपरोक्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 रूपलाल किसी अन्य व्यक्ति को रहन अन्तरण बेचान नही करेगा न ही उपरोक्त आराजियात से बेदखल करेगा व मिट्टी को खुदाई करके उसको अनुपयोगी भी नही बनायेगा। इस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 पाबन्द रहेगा। दोनो पक्षकारो के मध्य आपसी राजीनामा से प्रकरण निस्तारण हेतु सहमत हुए। अतः उपरोक्त दोनो पक्षो के मध्य आपसी सहमती राजीनामे के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	